न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी– अविचल चतुर्वेदी
आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं० 149/2018

1. सुभाष पुत्र श्री विजयसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा।
.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा। ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार दौसा जिला दौसा दिनांक 23.4.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम सुभाष मु0नं0 01/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवलकिशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> दिनांकः 03.2.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पालावास द्वारा तहसीलदार दौसा जिला दौसा के यहां इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई थी कि ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा मे स्थित भूमि 394/1 रकबा 0.02 है0 किस्म चरागाह भूमि पर मूर्तियों की दुकान बनाकर कर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.4.2018 के द्वारा अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल किया जाने एवं पेनल्टी से दण्डित कर दिया गया। तहसीलदार दौसा के उक्त आदेश दिनांक 23.4.2018 के विरूद्व अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का पालावास द्वारा तहसीलदार दौसा जिला दौसा के यहां इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि सुभाष पुत्र विजयसिंह जाति गुर्जर निवासी पाडली ने खसरा नम्बर 394/1 रकबा 0.02 है0 किस्म चरागाह ग्राम मित्रपुरा पर संवत 2075 में अनाधिकृत रूप से मूर्तियों की दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने बाबत जारी किया गया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। पत्रावली का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया। अपीलांट को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जाने एवं 9/–पेनल्टी आरोपित करने का आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट ने किसी भी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है कि अपीलांट ने कौनसे भूखण्ड पर अतिकमण किया है ना उन्होनें अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि प्रार्थी अपीलांट ने जिस भूखण्ड पर कब्जा किया है वह कितनी नाप का हैऔर चर्तुसीमायें क्या है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट एक्जिबिट नहीं हुई है और न ही अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया गया है। बिना एक्जिबिट हुए रिपोर्ट को साक्ष्य व सबूत के तौर पर ग्रहण नहीं किया जा सकता है। विवादित आराजीयात का रिकॉर्ड देखे बिना ही कार्यवाही की गई है जबकि उक्त भूमि प्रार्थी अपीलांट का पट्टाशुदा जमीन है। यह विक्रय विलेख 30.7.87

का ग्राम पंचायत जोपाड़ा द्वारा आर्यभूषण वल्द राधेश्याम शर्मा निवासी कालाखो की पट्टेशुदा जमीन है। जिसको अपीलांट के पिता विजयसिंह पुत्र रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी पाडली तहसील दौसा ने आर्यभूषण से जरिये इकरारनामा दिनांक 24.7.97 कुल 300 वर्गफिट का विक्रय 5000/—में क्रय की है। जिसकी चतुर्थ सीमा में उत्तर में जयपुर रोड की सीमा 15 फिट छोड़कर, दक्षिण में गली छोडकर कोलोनी जोधपुर स्कीम की सीमा, पूर्व में रामगोपाल पुत्र बिहारीलाल शर्मा का प्लाट नं0 5 तथा पश्चिम में आम रास्ता कॉलोनी में जाने का स्थित है। इसी प्रकार उक्त भूमि का 300 वर्गफिट के अलावा दूसरा पट्टा रामगोपाल वल्द बिहारीलाल शर्मा निवासी दौसा की पट्टाशुदा भूमि थी जिसको अपीलांट के पिता विजयसिंह द्वारा जरिये इकरारनामा विक्रय पत्र 5000/— रूपये में दिनांक 24.4.97 जिसकी नाप कुल 300 वर्गफिट खरीद की है। इस प्रकार इसी खसरे से श्रीमति पुष्पा देवी शर्मा पत्नि आर्यभूषण शर्मा निवासी भाण्डारेज मोड से 375 वर्गफिट क्रय की है जिसका पट्टे पर नोट लगा हुआ है। इस पट्टे की जमीन को विजयसिंह पुत्र रामप्रताप पटेल को बेच दी है जिस पर पुष्पा देवी के हस्ताक्षर है। उक्त भूमि जिस पर हल्का पटवारी पालावास द्वारा कार्यवाही की गई है वह भूमि प्रार्थी अपीलांट के पिता की पट्टाशुदा भूमि पर है। जिस पर ग्राम पंचायत जोपाडा द्वारा विधिवत रूप से पट्टे जारी किये गये है और पट्टे के अनुसार प्रार्थी अपीलांट की दुकानें बनी हुई है। इसलिये अपीलांट द्वारा गैर कानूनी तरीके से किसी भी राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.4.2018 को निरस्त फरमावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की कैफियत में नया अतिक्रमण होना तथा खसरा नम्बर 394/1 रकबा 0.50 है0 में से 0.02 है0 किस्म चरागाह भूमि पर मूर्तियों की दुकान बनाकर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करना अंकित किया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पट्टे की फोटो प्रति में खसरा नम्बर अंकित नहीं है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि खसरा नम्बर 394/1 रकबा 0.02 है0 की किस्म चरागाह होना तथा नया अतिक्रमण होना अंकित किया है। जबकि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उक्त भूमि अपीलांट के पिता की पट्टेशुदा भूमि होना व्यक्त किया गया है। किन्तु प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में विधिमान्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 फरवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official